

आयालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

1/235/2022

तारीख रजू.....

भोहराम कौरा

बनाम

राजपाल कौरा

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
917	<p>वकील काठी उपा०। आज यह दावा काठी वकील श्री राधावल्लभ कौरा से मूल रूप पत्र किया। कार्यालय दिनांक 8/10/22 को प्रतिकापी जज गणमान ललक होकर पत्रावली काठरे ललकी प्रतिकापी दिनांक 8/10/22 को प्रेषित</p> <p>वकील काठी उपा०</p> <p>दिनांक 30/9/22 को पत्रावली जारी</p> <p>दिनांक 22/8/22 को पत्रावली जारी</p>	
8/10/22	<p>वकील काठी उपा०</p> <p>दिनांक 30/9/22 को पत्रावली जारी</p> <p>दिनांक 22/8/22 को पत्रावली जारी</p>	
8/13/22	<p>वकील काठी उपा०</p> <p>दिनांक 30/9/22 को पत्रावली जारी</p> <p>दिनांक 22/8/22 को पत्रावली जारी</p>	
23/9/22	<p>वकील काठी उपा०</p> <p>दिनांक 30/9/22 को पत्रावली जारी</p> <p>दिनांक 22/8/22 को पत्रावली जारी</p>	



21/9/22

साविक आदेश दिनांक 19/9/22
की पालना में यका नी खासे जलदी से
दिनांक 2/11/22 को पश हो

उपस्थान
उपस्थान अधिकारी
कटमार (अलवर)

6/11/23

पुनः बंदीकरण 19/9/22
साविक आदेश दिनांक 19/9/22
की पालना में यका नी खासे 8/11/24
को पश हो

उपस्थान अधिकारी
कटमार (अलवर)

8/1/22

साविक आदेश दिनांक 19/9/22
की पालना में यका नी खासे 8/1/22 को पश हो

उपस्थान अधिकारी
कटमार (अलवर)

5/1/24

आवकी पेश हुई। बाप बार एसो. से काफ
बचिब कर रहा है। P.O. साहब के पास से
। आवकी दिनांक 4/9/24 को पेश हो

उपस्थान अधिकारी
कटमार (अलवर)

23/4/24

साविक आदेश दिनांक 19/9/22
की पालना में यका नी खासे 28/5/24 को पश हो

उपस्थान अधिकारी
कटमार (अलवर)

28/5/24

पञ्जाबली अपेश हुई। कनील बाही उपस्थित
नहीं कनील बाही को का का पञ्जाबली
डिवाई गई कोई उपस्थित नहीं था
अन्य - दावा बाही अपेश धरारी वशक
पैली में खारिज किया जाता है पञ्जाबी
मैसल शुरु होकर नई नया से काम है
बाद कनील जाता। पञ्जाब लिला लेख भरण
है सुनाया

उपस्थान अधिकारी
कटमार (अलवर)

अधिकारी

राज्यालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

2/21/2021

तारीख रजु

भौतराम

बनाम

राजपाल वगैरा

क्र. नं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

10.09.2021

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 71, 77, ग्राम घोसराना, तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के 1/3 हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।



अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 08.10.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.10.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

वकील सायल
30/9/21
हकी रजि 0536
दिनांक 08/10/20 को पेश हो

8/10/21

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम अहक की ता
28/5/24	<p> <u>19/9/24</u> उपस्थित / साप्ताहिक आवेदन दिनांक <u>19/9/24</u> की मालना में पत्रा भी वासी <u>हकी</u> <u>सि 05/06/24</u> दिनांक <u>28/5/24</u> को पर हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपस्थित अधिकारी कवूमर (अलवर) </p>	
28/5/24	<p> पत्रावली पेश इरी कनील गाँवों उपस्थित नही कनील गाँवों को का का पत्राज डिवाइ गरी कोरी उपस्थित नही आये। उत। पत्राज पत्रा का का यदि अत्र हजारी व अत्र पेशी में खालि किन्तु जाला हो पत्रावली फंसल शुभ होना चर्चा मध्य से कम हो कुल वाट के सम्मारे </p> <p style="text-align: right;">  उपस्थित अधिकारी कवूमर (अलवर) </p>	